

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 477/16
(जीसीएमएस संख्या 2016/00346)

निर्णय दिनांक:- 11.10.2023



1. संजयकुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

-अपीलांट

-बनाम-

1. मु. जमना देवी पत्नी उदाराम जाति जाट निवासी चक 3 बीएमआर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

2. उदाराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी चक 3 बीएमआर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 22-06-2015
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बज्जू

उपस्थिति:-

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री राजेश बैद, अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

-निर्णय-

1. अपीलांट ने उक्त अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बज्जू के आदेश दिनांक 22-06-2015 जिसके द्वारा अपीलांट की रिमाण्ड पत्रावली का निस्तारण किये बिना वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोंडेन्ट्स को किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान् अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि चक 7 एमआरएम के मुरब्बा नम्बर 11/4 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त भूमि विशेष आवंटन हेतु आरक्षित भूमि थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट् के आवंटन प्रार्थना पत्र उक्त भूमि दिनांक 15-03-2000 को अपीलांट् के पक्ष में आवंटित भी कर दी गई थी। परन्तु आराजी जैर के बाबत् 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने के आधार पर उक्त आवंटन खारिज कर दिया गया। अपीलांट् द्वारा उक्त खारिजी आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 10-02-2014 को अपीलांट् की अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि अपीलांट् को आवंटित भूमि का आवंटन अन्य किसी को नहीं किया गया हो, भूमि विशेष आवंटन हेतु अधिसूचित व आराजीराज हो तथा अपीलांट् द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् अन्य किसी का प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं हो, तो अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर देकर नियमानुसार निर्णय पारित करें। इस प्रकार अपीलांट् के खारिजी आवंटन के विरुद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने पर उक्त खारिजी आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण में नियमानुसार अपीलांट् के आवंटन को बहाल किये जाने की कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट् के रिमाण्ड प्रकरण में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही सम्पादित किये बिना ही आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में कर दिया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई तमाम कार्यवाही उच्चतर न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट् को नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। जबकि अदालत मातहत द्वारा किसी प्रकार का कोई नोटिस सूचना अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट् के हकों पर कुठाराघात किया गया है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट् को पूर्व में आवंटित भूमि रही है ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट की वादगत् भूमि में कोई वरियता नहीं बनती है। अदालत मातहत द्वारा इन




तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन, आवंटन नियमों के विपरीत होन से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।



अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरुद्ध जाकर जैर अपील आदेश पारित किया गया है जो काबिज निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानों के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन निरस्त किया जावे अन्यथा अपीलांट को समान किस्म की अन्य भूमि आवंटित किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोजेन्ट्स को पूर्व में चक 3 बीएमआर के मुरब्बा नम्बर 168/31 में तादादी 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था, परन्तु उक्त भूमि पूर्व से ही अन्य व्यक्ति शेरसिंह, सूरतसिंह पिसरान चिमनसिंह को आवंटित होने के कारण रेस्पोजेन्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विनिमय में अन्य भूमि आवंटित किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत संबंधित पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त किये जाने व उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में शुद्ध रूप से आराजीराज दर्ज होने के आधार पर आराजी जैर का आवंटन रेस्पोजेन्ट्स के पक्ष में किया गया है। रेस्पोजेन्ट्स द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोजेन्ट्स के कब्जे काश्त में चली आ रही है।


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। रेस्पोजेन्ट द्वारा आवंटन पश्चात् निर्धारित तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोजेन्ट्स को किया गया आवंटन सही है। अतः अपीलांट की अपील गुणावगुण के साथ-साथ मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।




5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 22-06-2015 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 15-01-2016 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। चूंकि वादगत् भूमि का आवंटन, अपीलांट को बिना सुनवाई व सूचना व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। ऐसी स्थिति आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर पारित किया जाना साबित है अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने चक 7 एमआरएम के मुरब्बा नम्बर 11/4 में तादादी 23 बीघा 10 बिस्वा का विशेष श्रेणी में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोजेन्ट्स को किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(3) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि चक 7 एमआरएम के मुरब्बा नम्बर 11/4 में तादादी 25 बीघा भूमि दिनांक 15-03-2000 को अपीलांट के पक्ष में आवंटित की गई थी। कालान्तर में आराजी जैर के बाबत् 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने के आधार पर उक्त आवंटन खारिज कर दिया गया। जिसके विरुद्ध


राजस्थान अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 10-02-2014 को अपीलाट् की अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण में पुनः आवंटन हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया था।



(4) इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेण्डेन्स संख्या 1 का कथन है कि पूर्व में चक 3 बीएमआर के मुरब्बा नम्बर 168/31 में तादादी 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था, परन्तु उक्त भूमि पूर्व से ही अन्य व्यक्ति को आवंटित होने के कारण रेस्पोजेण्डेन्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विनिमय में अन्य भूमि आवंटित किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त राजस्व रिकार्ड में शुद्ध रूप से आराजीराज दर्ज होने के आधार पर आराजी जैर का आवंटन रेस्पोजेण्डेन्स के पक्ष में किया गया है।

(5) इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में पत्रावली के साथ उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि चक 7 एमआरएम के मुरब्बा नम्बर 11/4 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि का आवंटन अपीलाट् के पक्ष में दिनांक 15-03-2000 को किया गया था। कालान्तर में अपीलाट् द्वारा निर्धारित राशि की 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण उक्त आवंटन, आवंटन अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया था। अपीलाट् द्वारा उक्त खारिजी आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलाट् की अपील दिनांक 10-02-2014 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः आवंटन की कार्यवाही हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया था।

(6) प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन से पूर्व इस तथ्य की कतई जाँच नहीं की गई कि वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु पूर्व से ही अपीलाट् का प्रार्थना पत्र व उच्चतर न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में अपीलाट् के आवंटन प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही किया जाना जैरकार रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाट् के आवंटन की अनदेखी करते हुए आराजी जैर का आवंटन रेस्पोजेण्डेन्स के पक्ष में किया जाना जाहिर होता है। प्रकरण में चूँकि दौराने बहस विद्वान अभिभाषक द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया जा

चुका है कि यदि रेस्पोंडेन्ट्स के आवंटन को बहाल रखते हुए अपीलांट को उसकी पात्रता के अनुसार अन्य भूमि आवंटित की जाती है तो उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश पर कोई आपत्ति नहीं है तथा दौराने बहस आवंटन नियम 13 ए (5) (4) की तरफ न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया गया। जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:-



Provided that the applicants to whom land could not be allotted due to the above procedure, may be allotted alternative un allotted land out of those lands which were previously notified and applications were invite for allotment of those lands, if there are no pending applications from other applicants for allotment such un allotted land.

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि यदि कोई पात्र व्यक्ति उपयुक्त नियमों के तहत प्राथमिकता में भूमि आवंटित नहीं करा सका है तो उसे अनावंटित भूमि आवंटित की जा सकेगी। प्रकरण में चूंकि अपीलांट के आराजी जैर के बाबत उत्पन्न अधिकारों को विधि विरुद्ध तरीके से समाप्त किया गया है, जिसकी क्षति अपीलांट को कारित होगी। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22-06-2015 यथावत बहाल रखते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में अपीलांट के विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र, पात्रता की जाँच करते हुए पात्रता सही पाये जाने पर पुनः विधि सम्मत् अन्यत्र भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे।
8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 11.10.23 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर